

कार्यालय  
पत्रांक

761/10 R-12

तहसीलदार  
/र0का0

डिबाई  
दिनांक - 19 अगस्त, 2017

### प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील डिबाई के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा आवंटन शिविर का आयोजन उ0प्र0 राजस्व सहित 2006 के अनुसार पंजीकरण मछुआ समितियों /समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर तहसील डिबाई के सभागार में दिनांक 29.08.2017 को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। मत्स्य पालन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र इच्छुक व्यक्तियों से प्रातः 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक लिए जाएंगे। अपराहन 2 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, तथा अपराहन 2 बजे के बाद सामान्य वरीयता समूह में नीलामी के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। नीलामी की धनराशि उ0प्र0 राजस्व सहित नियमावली 2006 में निहित प्रावधान के अनुसार होगी। उपस्थित व्यक्तियों में से समान वरीयता समूह में सर्वाधिक बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन कार्यवाही की जाएगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन की तिथि से 6 माह पुराना न हो) प्रार्थना पत्र के साथ नियत तिथि समय स्थान पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सर्वाधिक बोली दाता को नीलामी के तत्काल उपरान्त 10 वर्षीय लगान का 1/4 भाग जमा करना होगा। पट्टा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय डिबाई को होगा।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(हे0में )	क्र0सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(हे0में )
1	गंगागढ	101मि	1.119	8	त्रिलोकपुर	88	0.304
2	रामबिलौनी	147मि	1.138	9	दोगवा	349	0.684
3	तलवार	71	2.225	10	बिरौरा	1502	0.594
4	गौसमी	63	1.088	11	जलालपुर जट्ट	377स	0.748
		125	1.214				
5	महाराजपुर उर्फ रतुआनगला	55/2स	1.607	12	खुशरूपुर	275	0.632
6	जरगवा	39	0.443	13	असदपुर घेड	87	0.291
		603	0.582			339	0.556
7	बगठारी	378	1.265	14	इछावरी	625	0.126

तहसीलदार  
डिबाई।

पत्रांक  
प्रतिलिपि:-

/र0का0 /मत्स्य पट्टा/2017-18

दिनांक -

- 1- जिलाधिकारी महोदय बुलन्दशहर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
- 2- उपजिलाधिकारी महोदय डिबाई की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 3- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सिकन्द्राबाद/खुर्जा/स्याना/अनूपशहर/शिकारपुर/बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं नोटित बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।
- 4- सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवयस्क कार्यवाही हेतु एवं मछुआ समुदाय को अवगत कराने हेतु।
- 5- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
- 6- अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थनीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
- 7- राजस्व निरीक्षक डिबाई/दानपुर को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के माध्यम से मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पट्टा शिविर की तिथि को कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु।
- 8- नायब तहसीलदार दानपुर /नीलामी अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- खण्ड विकास अधिकारी डिबाई /दानपुर को इस अनुरोध के साथ विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार कराये।
- 10- सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान / अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को सूचनार्थ।

तहसीलदार  
डिबाई।